सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करण सिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

**अपील प्रकरण सं0 18/14**

1.श्रीमती कमला पुत्री भागीरथ पुत्र बेगाराम पत्नि नानकराम जाति जाट निवासी वीपीओ ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान
2. भागीरथ पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी वीपीओ ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी वीपीओ ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. बृजलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी वीपीओ ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. बालूराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी वीपीओ ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

**अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 398 दिनांक 25.03.2014, उपतहसीलदार, चूनावढ**

उपस्थित :
1. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सं0 3 से 5
3. एक पक्षीय कार्यवाही , रेस्पोडेंट संख्या 02
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

**आदेश** **दिनांक 04 –06– 2015**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थियां के दादा स्व. बेगाराम के नाम चक 12 एलएल के खाता संख्या 12/52 मुरब्बा नं 10, 11, 26, 32 ,33 की कुल 121 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदारी दर्ज थी। बेगाराम के देहांत के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान जिसमें अपीलार्थियां का पिता भागीरथ भी शामिल है के नाम से विरासतन इंतकाल संख्या 32 दिनांक 27.10.1962 को पारित किया गया। अपीलार्थिया के पिता, ताया व चाचा के हक में उनकी बहनों ने अपने हक का परित्याग कर दिया व उक्त भूमि के आय से अन्य भूमि बनाई गई। अपीलार्थिया के पिता भागीरथ, ताया धनराज, चाचा श्रीभगवान के नाम से चक 12 एलएल के मुरब्बा नं 11, 12, 23, 27 ,33 34 की 32–283 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई। जो पैतृक भूमि होने व इसमें से 10.761 हैक्टेयर रेस्पोंडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज होने एवं उसके तीन पुत्र व 7 पुत्रियां होने के कारण अपीलार्थिया का 1/11 हिस्सा पैतृक भूमि में बना। अपीलार्थियां को उसका हिस्सा ना देने पर उसने एक दावा सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 19.03.2014 को प्रस्तुत किया तथा उप तहसीलदार, चूनावढ को एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

तस्दीक न की जावे। स्थगन आदेश जारी होने पर वह पेश कर देगी। अधीनस्थ न्यायालय को समस्त तथ्यों की जानकारी अपीलार्थिया द्वारा करवा दी गई थी। दिनांक 25.03.2014 को सम्मन नोटिस भी जारी हो गए थे, जो अधीनस्थ न्यायालय को तामील हेतु प्रस्तुत कर दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुपचुप तरीके से दिनांक 25.03.2014 को रेस्पोडेंट संख्या 02 के कथित उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये पारित कर दिया गया। दावा सहायक जिलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। पैतृक भूमि में अपीलार्थिया का जन्म से हक व हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है। अपीलाधीन विवादित भूमि में अपीलार्थियां का 1/11 हिस्सा है। कथित पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गई है। अधिकारों की घोषणा वाद पत्र के माध्यम से तय होनी है। भाई बहनों का आपस में विवाद है। अपने तर्कों के समर्थन में आरबीजे (13)2006 पेज 222 एवं आरआरडी 1995 पेज 113 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि पंजीकृत उपहार पत्र दावे एवं प्रार्थना पत्र से पूर्व का है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। सिविल न्यायालय से पंजीकृत दस्तावेज के निरस्त होने अथवा नहीं होने का जो भी प्रभाव होगा वह अपीलाधीन इंतकाल पर रहेगा। अतः अपील अस्वीकार की जावे। अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2012(1) पेज 238 आर आर टी 2011–12(सुप.) पेज 498 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पंजीकृत उपहार पत्र जो उप पंजीयक, चूनावढ द्वारा पंजीयन किया गया है, के आधार पर पारित किया गया है। उपहार पत्र दिनांक 13.03.2014 को उप पंजीयक चूनावढ द्वारा पंजीयन किया गया है तथा इसी उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 25.03.2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल की अपील दिनांक 28.03.2014 को न्यायालय में दायर की गई है। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 25.03.2014 को पारित होने पर अपीलार्थिया द्वारा एक वाद सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अधिकारों के घोषणा का पेश किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पेज 222 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि RAJASTHAN LAND REVENURE ACT. 1956- Section 136-When suit is pending

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

in the court regarding title of the disputed land – Land cannot be transferred on the basis of the mutation .

एक अन्य न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1995 पेज 113 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि (B) Hindu Minority & Guardianship act. Section8(4) – Gift made by mother of minor daughter not for the benefit of the family but to deprive the minor daughter of her share is void

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2012(1) पेज 238 में मा0 मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 – धारा 135 – नामान्तरणकरण – 'एस' के जायन्दा पुत्र नहीं – उसने उसकी कृषि भूमि 'एम' को दान की – तहसीलदार द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया – किसी सिविल न्यायालय द्वारा दान विलेख को शून्य अथवा अप्रभावी घोषित नहीं किया गया – राजस्व अभियान के दौरान तहसीलदार व ग्राम पंचायत को समवर्ती अधिकारिता है – निर्णित, आदेश में तथ्य अथवा कानून की त्रुटि नहीं है** " ।

हस्तगत अपील में अधिकारों की घोषणा का वाद सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है। वाद के निर्णय के उपरान्त ही अधिकारों की घोषणा का बिन्दु तय हो पाएगा। अपीलाधीन इंतकाल पंजीकृत दस्तावेज उपहार पत्र के आधार पर पारित किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में पंजीकृत दस्तावेज उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थियां अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 04.06.2015 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ,

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।
4/6/15